निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 चैत्र 1938 (श0)

(सं0 पटना 240) पटना, सोमवार, 28 मार्च 2016

सं0 08/आरोप**–01–54/2014, सा०प्र०—918**

सामान्य प्रशासन विभाग

———————

संकल्प

20 जनवरी 2015

श्रीमती सुषमा, (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक–1106/11, तत्कालीन अंचलाधिकारी–सह–प्रखंड विकास पदाधिकारी, गड़हनी, भोजपुर सम्प्रति विशेष कार्य पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना के विरूद्ध इन्दिरा आवास योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता आदि का आरोप ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–8351, दिनांक 14.09.2009 द्वारा प्रतिवेदित किया गया था। प्रतिवेदित आरोप के जाँच हेतु विभागीय संकल्प ज्ञापांक–9292, दिनांक 14.06.2013 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालन का निर्णय लिया गया।

2. संचालन पदाधिकारी, प्रधान सचिव, जल संसधान विभाग–सह–अपर विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना के पत्रांक–86/प्र०स०को०/ए०सी०डी०ई०, दिनांक 31.03.2014 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जाँच प्रतिवेदन पर आरोपित पदाधिकारी से द्वितीय कारण–पृच्छा के तहत स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया। आरोप, साक्ष्य एवं संचालन पदाधिकारी के मंतव्य की गहन समीक्षा की गयी।

3. श्रीमती सुषमा के विरूद्ध इन्दिरा आवास योजना के कार्यान्वयन में बरती गयी अनियमितता संबंधी छः आरोपों को प्रतिवेदित किया गया था। इनमें से आरोप सं०–1,3,5 एवं 6 को जाँच पदाधिकारी द्वारा अप्रमाणित पाया गया जबकि आरोप सं०–2 एवं 4 को मूल रूप से अप्रमाणित परन्तु आरोपित पदाधिकारी के स्तर पर सजगता एवं योजना के कार्यान्वयन में निरीक्षण की कमी के कारण दृष्टिगत चूक के लिए Advisory निर्गत की आवश्यकता बतायी गयी।

4. आरोप, आरोपित पदाधिकारी का स्पष्टीकरण एवं बचाव बयान तथा संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन पर सम्यक् रूप से विचार किया गया। जाँच पदाधिकारी ने किसी भी आरोप को प्रमाणित नहीं पाया। पंचायत समिति के सदस्य ने कुछ लाभुकों से सामग्री उपलब्ध कराने के नाम पर राशि ले ली परन्तु किसी लाभुक ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को या उच्चापदाधिकारियों को शिकायत नहीं की। आरोपित पदाधिकारी श्रीमती सुषमा, बि०प्र०से०, प्रखंड विकास पदाधिकारी, गड़हनी से निरीक्षण में चूक हुई। इन्दिरा आवास के कार्यान्वयन में कठोर निरीक्षण एवं शतत् सजगता की आवश्यकता होती है।

अतः श्रीमती सुषमा, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक–1106/11, तत्कालीन अंचलाधिकारी–सह–प्रखंड विकास पदाधिकारी, गड़हनी, भोजपुर को इन्दिरा आवास योजना के कार्यान्वयन में संघन पर्यवेक्षण में हुई चूक के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–17 (2) एवं 19 के तहत निम्नलिखित शास्ति अधिरोपित की जाती है :–

(i) **'निन्दन'** (आरोप वर्ष के प्रभाव से)।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
केशव कुमार सिंह,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 240-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in